XIV-Form No. 563.

| आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

(12)

# न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

## विविध अनुमति वाद संख्या–19/2012

## बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत

श्रीमती इमेल्डा मेरी खालखो, पति–श्री विक्टर खालखो, साकिन–बाधमारा, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ............

आवेदक

**बनाम्**

बिहार सरकार............................

विपक्षी

## आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदिका द्वारा अपनी बिमारी के इलाज कराने हेतु मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–7, रकवा–0.16.8 कड़ी जमीन बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत बिक्री करने की अनुमति हेतु दायर किया गया है।

इसमें आवेदिका का कथन है कि प्रश्नगत भूमि केवाला द्वारा खरीद की गयी है, जिसका लगान भी अंचल कार्यालय, के0 नगर को दिया जाता है। अपनी इलाज कराने हेतु शीध्र रूपये की आवश्यकता है, जिसके लिये प्रश्नगत जमीन बिक्री करना चाहते हैं।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, कृत्यानन्द नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 130, दिनांक 04.02.2012 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किये है, जिसमें वर्णित है कि मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता संख्या–129, खेसरा संख्या–7, रकवा–0.16.8 कड़ी जमीन पंजी–II जमाबन्दी नं0–576 पर दर्ज है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है। उक्त जमीन बिक्री करना चाहती है। आवेदिका स्वंय अपना इलाज कराने हेतु अपनी जमीन बिक्री करना चाहती है। प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका शांतिपूर्ण दखलकार है। प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में आती है। प्रश्नगत भूमि भूदान, भू–हदबन्दी एवं बिहार सरकार से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा की है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदिका को अपनी बिमारी के इलाज कराने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 30/3/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

(हस्ताक्षर) 30/3/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ